

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला

भिण्ड मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 205/10

संस्थापित दिनांक 22/04/2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. माधौसिंह पुत्र रामजीलाल उम्र—40साल
2. मुन्नालाल पुत्र रतीराम जाटव उम्र—45साल
3. भूरे उर्फ शैलेन्द्र पुत्र अन्तराम जाटव उम्र—25
साल व्यवसाय मजदूरी निवासीगण ग्राम—चपरा
पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 17/11/14को घोषित किया)

1. आरोपीगण पर भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324/34 के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 10/02/10 को 12:30 बजे ग्राम पिपाडी हेड बंबा के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया व सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी व आहत का आरोपीगण से मध्य राजीनामा हो गया है।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजवीर ने दिनांक 10/2/10 के 12:30 बजे पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि आज उसकी पत्नि सावित्री के साथ ग्राम चपरा से बहन मुन्नी के घर नावली पैदल जा रहे थे माधौसिंह, मुन्नालाल व शैलेन्द्र से पंचायत चुनाव से आपसी रंजिश चल रही थी आज 12:30 बजे पिपाहडी हेड बंबा के पास तीनों मिले और उसे देख

गालियाँ देने लगे वह रूका तो भूरा ने मूँद कीतरफ से कुल्हाड़ी मारी जो उसक आंख के उपर लगी माधौसिंह व मुन्नालाल गालियाँ दे रहे थे फिर वह चले गये। पत्नि को उसने वापिस घर भेज दिया मौका पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। वह तथा उसकी पत्नि है फिर वह पैदल रिपोर्ट को आया है।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा मर्ग क्रमांक 5/10 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया लिया विवेचना में डॉ० द्वारा फरियादी को धारदार हथियार से चोट आने का उल्लेख किये जाने के पश्चात पुलिस थाना गोहद द्वारा अप०क्र० 57/10 पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया व संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 324/34 के अंतर्गत आरोप विरचित कर आरोपीगण को सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा विचारण चाहा। प्ली दर्ज की गई।

6. प्रकरण में फरियादी का आरोपीगण के मध्य आपसी हो जाने के कारण आरोपीगण को भा०द०वि०की धारा 294 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा 324/34 भा०द०वि०राजीनामा योग्य न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।

7. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि:-
क्या आरोपीगण ने फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में राजवीर सिंह आ०सा०1 के द्वारा प्रथम सूचनारिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना है कि 04 साल पहले आरोपीगण से झगडा हो गया था। इसमें धक्का मुख्ती कर मारपीट कर दी थी और मुझे गालियाँ दी थी। झगडा दोपहर के समय पिपाहडी हैड बंबा के पास हुआ था। उस समय वह अकेला था उक्त झगडे की रिपोर्ट उसने गोहद चौराहा पर की थी जो प्र०पी०प०1 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेडीकल कराया था तथा घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र०पी०2 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपीगण खाली हाथ थे उनके पास कोई हथियार नहीं था। साक्षी के द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं

किया है कि आरोपी भूरा ने कुल्हाड़ी से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की थी। साक्षी के कथनों से प्रथम सूचना रिपोर्ट व मेडीकल रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है।

09. प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

10. प्रकरण में राजवीर सिंह आ०सा०१ घटना का आहत साक्षी है जिनके द्वारा इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की थी साक्षी के कथनों से धारदार हथियार से चोट पहुँचाये जाने घटना प्रमाणित नहीं होती है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भा०द०वि०की [धारा 324/34](#) के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये।

11. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०वि०की [धारा 324/34](#) के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित है। शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपीगण को भा०द०वि०की [धारा 324/34](#) के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

12. प्रकरण में निराकण हेतु मुददेमाल नहीं है।

13. प्रकरण में धारा 428 द०प्र०स का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में याचिका दायर की जाती है और अपीलीय न्यायालय आरोपीगण को आहूत करता है तो आरोपीगण माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहे इस संबंध में धारा 437ए द०प्र०स०के तहत 10-10 हजार रुपये जमानत व इतनी ही राशि के बंधपत्र आरोपीगण से लिये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता०सही
जे०एम०एफ०सी०गोहद
जिला भिण्ड

हस्ता०सही
जे०एम०एफ०सी०गोहद
जिला भिण्ड